

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या— 01 / विविध / सं०क०नि० / 10 / 2015 / न०वि०—5350

राँची, दि०—24.09.2016.

झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम—20 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल 'झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013' एवं 'झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) संशोधन नियमावली, 2015' को निम्नरूपेण संशोधित करते हुए, स्तम्भ—ii के प्रावधान को स्तम्भ—iii में उल्लिखित तथ्यों के द्वारा प्रतिरक्षापित करते हैं :—

क्रमांक	नियमावली के प्रावधान	संशोधन
I	II	III
1.	<p>झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) संशोधन नियमावली, 2015 के नियम—1.3,</p> <p>प्रभाव की तिथि— यह नियमावली 'झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के अधिसूचित होने की तिथि— दिनांक 01 अप्रैल 2014 के प्रभाव से प्रवृत्त मानी जायेगी।</p>	यह नियमावली दिनांक—01.04.2016 के प्रभाव से प्रवृत्त मानी जायेगी।
2.	<p>झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम—7,</p> <p>धृति कर की दर — झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 152 (8) के आलोक में किसी धृति के वार्षिक किराया मूल्य के 2 प्रतिशत के आधार पर धृति कर का निर्धारण किया जाएगा।</p>	धृति कर की दर — झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 152 (8) के आलोक में किसी धृति के वार्षिक किराया मूल्य के 2 प्रतिशत के आधार पर धृति कर का निर्धारण किया जाएगा।
3.	<p>झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के नियम—10,</p> <p>पुनर्निर्धारण — नगरपालिकाओं द्वारा धृति कर का सामान्य पुनरीक्षण हर 5 वर्षों पर एक बार किया जाएगा, जिसमें सड़कों का वर्गीकरण, उपयोग, और आवासी उपयोग के प्रकार, दखल तथा कोई अन्य परिवर्तित घटक का पुनर्निर्धारण तथा धृति कर की दरों का पुनरीक्षण शामिल है।</p> <p>परन्तु यह कि शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा सरकार के माध्यम से समय—समय पर सम्पत्ति कर पर्षद के द्वारा दिए गए परामर्श का अनुपालन किया जाएगा।</p>	<p>पुनर्निर्धारण — नगरपालिकाओं द्वारा धृति कर का सामान्य पुनरीक्षण प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत किया जाएगा, जिसमें किसी धृति के वार्षिक किराया मूल्य में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। उक्त पुनर्निर्धारण में सड़कों का वर्गीकरण, उपयोग और आवासी उपयोग के प्रकार, दखल तथा कोई अन्य परिवर्तित घटक का पुनर्निर्धारण तथा धृति कर की दरों पुनरीक्षण शामिल है।</p> <p>परन्तु यह कि शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा सरकार के माध्यम से समय—समय पर सम्पत्ति कर पर्षद के द्वारा दिए गए परामर्श का अनुपालन किया जाएगा।</p>

<p>4. झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) संशोधन नियमावली, 2015 के नियम-6 के द्वारा झारखण्ड नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 में जोड़े गये नियम-11.4.</p> <p>ऐसी कोई धृति या सम्पत्ति, जिसमें वर्षा जल संरक्षण की तकनीक और संरचना को नहीं अपनाया गया हो, तो उस पर कुल देय सम्पत्ति कर को 1.5 से गुणा करते हुए धृति कर वसूला जायेगा।</p>	<p>11.4 ऐसी कोई धृति या सम्पत्ति, जो 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र में अवस्थित हो एवं जिसमें वर्षा जल संरक्षण की तकनीक और संरचना को नहीं अपनाया गया हो, तो उस पर कुल देय सम्पत्ति कर को 1.5 से गुणा करते हुए धृति कर वसूला जायेगा।</p> <p>11.4.1 परंतु यह कि पूर्व में निर्मित धृतियों में वर्षा जल संरक्षण का स्थान उपलब्ध होने की स्थिति में ऐसी धृतियों में दिनांक-31.03.2017 की अवधि के भीतर वर्षा जल संरक्षण की तकनीक लगाने हेतु अवसर प्रदान किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा में तकनीक नहीं लगाने वाले परिसर पर 1.5 गुण धृति कर वसूला जायेगा।</p> <p>11.4.2 पूर्व से निर्मित ऐसी धृतियाँ, जिनमें वर्षा जल संरक्षण तकनीक लगाने हेतु स्थान उपलब्ध नहीं हैं, के संबंध में इस प्रयोजन हेतु शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर गठित तकनीकी समिति की अनुशंसा क उपरांत ऐसी धृति को इस प्रावधान से मुक्त रखने हेतु की गयी अनुशंसा के आधार पर संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा।</p>
---	--

2. नियमावली के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

K.K.Singh
(अ.कृष्ण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

झापांक- 01 / विविध / सं0क0नि0 / 10 / 2015 / न0वि0-5350

राँची, दि0-24.09.2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

K.K.Singh
सरकार के प्रधान सचिव।

राँची, दि0-24.09.2016

झापांक- 01 / विविध / सं0क0नि0 / 10 / 2015 / न0वि0-5350.

प्रतिलिपि:- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन सभी स्थानीय नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष/सभी नगर निकाय/प्राधिकार, झारखण्ड/महाप्रबंधक, जुड़को/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

K.K.Singh
सरकार के प्रधान सचिव।